<u>न्यायालयः—अरविंद कुमार बरला, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—2 अजयगढ जिला—पन्ना (म.प्र.)</u>

(फाईलिंग नंबर आरसीएस ए—1बी/18)
(व्यव. वाद आरसीएस ए क. 1/17)
(संस्थित दिनांक— 10/01/2018)

गोरेलाल सिंगरौल वल्द प्रागीलाल सिंगरौल, उम्र—40 वर्ष,
निवासी ग्राम—बहिरवारा रतनपुर, तहसील—अजयगढ, जिला—पन्ना (म.प्र.)
..... **वादी**

<u>—:: बनाम ::—</u>

नत्थूप्रसाद लोध वलद बैजनाथ लोध, उम्र—45 वर्ष,
निवासी ग्राम—बहिरवारा रतनपुर, तहसील—अजयगढ़, जिला—पन्ना (म.प्र.)
..... **प्रतिवादी**

//निर्णय//

{ आज दिनांक 30.11.18 को घोषित}

वादी द्वारा—	:	**श्री बी. व्ही पटेल।**
प्रति.क.—1	:	**पूर्व से एक पक्षीय।**

01— वादी ने यह वाद प्रतिवादी से मूल धन की राशि 30,000/—रूपये पर ब्याज व फीस सहित वसूली रूपया 53,000/रूपये दिलाये जाने बाबत् प्रस्तुत किया है।

02— वादी का वाद संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादी एक ही ग्राम के निवासी है और दोनो में अच्छी जान पहचान व मित्रता है। जिससे प्रतिवादी को रूपयों की आवश्यकता पडने पर उसने वादी से दिनांक 13.09.2015 को 30,000/—रूपये (तीस हजार रूपये) सिक्यूरिटी के तौर पर प्रोनोट तैयार कर शपथ पत्र नोटरी से प्रमाणित करा कर रसीद सहित 3% व्याज की दर से उधार लिया था और छः माह में मय ब्याज के मूल धन की राशि वापस करने के लिये वादा किया था, किंतु प्रतिवादी ने उक्त छः माह की अवधि में मय ब्याज के मूल धन की उक्त राशि वादी को वापस नहीं की, जिससे वादी ने मौखिक रूप से कई बार प्रतिवादी से उधार दिये गये रूपये की मांग की, किंतु प्रतिवादी किसी भी प्रकार का बहाना बना कर वादी को पैसा नहीं दिया, जिससे वादी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से प्रतिवादी को रजिस्टर्ड नोटिस द्वारा उधार ली गयी रकम मय ब्याज के 15 दिवस के भीतर देने के लिये लिखा था। उक्त नोटिस प्रतिवादी को प्राप्त हुआ था, इसके बावजूद भी प्रतिवादी उधार का रकम वादी को वापिस नहीं किया और ना ही नोटिस का कोई जबाव दिया, जिससे वादी ने प्रतिवादी के विरूद्ध मूल धन की राशि

30,000/–रूपये (तीस हजार रूपये) एवं दावा प्रस्तुति दिनांक तक उक्त मूल धन की राशि का ब्याज 22500/–रूपये और नोटिस फीस 500/–रूपये कुल 53,000/–रूपये वादी से वसूल करने बावत् यह वाद प्रस्तुत किया है।

03– प्रतिवादी के एक पक्षीय रहने के कारण वादोत्तर प्रस्तुत नहीं हुआ है।

04– अतएव प्रकरण मे देखना यह है कि :–

अ– क्या वादी ने प्रतिवादी को दिनांक 13.09.2015 को 30,000/–रूपये (तीस हजार रूपये) 3% ब्याज की दर से छः माह की अवधि के लिये प्रोनोट तैयार कर नोटरी से प्रमाणित करा कर उधार दिया था ?

ब– क्या प्रतिवादी ने वादी से ली गई उक्त उधार की राशि मय ब्याज के विहित समयवाधि में वापस नहीं किया है ?

स– सहायता एवं व्यय ?

//निष्कर्ष एंव उसके आधार//

05– उक्त संबंध में वादी गोरेलाल (वा.सा.–1) ने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि उसका प्रतिवादी से अच्छे संबंध एवं मित्रता है। प्रतिवादी को रूपयों की आवश्यकता पडने पर प्रतिवादी ने उससे 30,000/–रूपये (तीस हजार रूपये) की मांग की थी, तब उसने दिनांक 13.09.2015 को सिक्यूरिटी के तौर पर प्रोनोट तैयार कर शपथ पत्र नोटरी से प्रमाणित करा कर रसीद सहित 30,000/–रूपये (तीस हजार रूपये) प्रतिवादी को उधार दिया था और प्रतिवादी ने उक्त रकम 3% ब्याज की दर से लिया था और छः महीने में मय ब्याज के मूल धन की राशि वापस करने के लिये वादा किया था, किंतु प्रतिवादी ने उक्त छः माह की अवधि में मय ब्याज के मूल धन की उक्त राशि वादी को वापस नहीं की, जिससे उसने मौखिक रूप से कई बार प्रतिवादी से उधार दिये गये रूपये की मांग की, किंतु प्रतिवादी ने उसे पैसा नहीं दिया, जिससे वादी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से प्रतिवादी को रजिस्टर्ड द्वारा उधार ली गयी रकम मय ब्याज के 15 दिवस के भीतर देने के लिये प्रतिवादी को नोटिस दिया था। प्रतिवादी को नोटिस प्राप्त होने के बावजूद भी उसे उधार का रकम वापस नहीं किया है।

06– साक्षी गोरेलाल सिंगरोल (वा.सा.–1) के कथनो का समर्थन करते हुये साक्षी रमेश प्रसाद (वादी सा.–2) एवं साक्षी रामदीन (वा.सा.–3) ने अपने मुख्य परीक्षण के शपथ पत्र में कथन किया है कि वे वादी गोरेलाल व प्रतिवादी नत्थू को जानते पहचानते है। वे दोनो उनके ही गॉव के है। वादी गोरेलाल ने प्रतिवादी नत्थू प्रसाद लोध को उनके सामने दिनांक 13.09.2015 को 30,000/–रूपये (तीस हजार रूपये) 3% ब्याज प्रति माह की दर

से नगद उधार दिया था और प्रतिवादी नत्थू ने उक्त रकम को मय ब्याज के 6 माह में वापस करने का वादी से वादा किया था। प्रतिवादी द्वारा रूपये लेने के 2 दिन बाद दिनांक 15.09.15 को तहसील कार्यालय अजयगढ में उनके सामने रूपये लेन देन की लिखा पढी हुई थी एवं इंदुल तलब रूक्का (प्रोनोट) अधिवक्ता राकेश गर्ग द्वारा स्टाम्प पेपर पर उसके सामने लिखा कर उसी दिन नोटरी करायी गई थी और उसके समर्थन में एक शपथ पत्र नोटिरी से स्टाम्प पेपर में लिखवाया गया था। उक्त इन्दुल तलब रूक्का (प्रोनोट) में प्रतिवादी नत्थू प्रसाद एवं उन्होने हस्ताक्षर किये थे। वादी गोरेलाल ने उनके एवं गांव के पंच गण के समक्ष प्रतिवादी नत्थू से उक्त रकम की कई बार मौखिक मांग की थी, किंतु आज तक प्रतिवादी नत्थू प्रसाद ने उक्त रकम वादी गोरेलाल को वापस नहीं किया है। जिससे वादी गोरेलाल ने प्रतिवादी नत्थू प्रसाद से मूलधन 30,000/–रूपये और उसका ब्याज तथा अन्य सब खर्चे कुल रकम 53,000/–रूपये प्राप्त करने के लिये यह दावा पेश किया है।

07– साक्षी गोरेलाल सिंगरोल (वा.सा.–1) ने अपने दावे के समर्थन में प्रतिवादी नत्थू प्रसाद लोध द्वारा लेख किया गया शपथ पत्र दिनांक 15.09.15 **प्र.पी.–1** एवं इंदुल तलब रूक्का (प्रोनोट) मूल प्रति **प्र.पी.–2** तथा अपने अधिवक्ता द्वारा दिया गया सूचना/नोटिस का प्रति **प्र.पी.–3** और डाक रसीद **प्र.पी.–4** पेश की है। उक्त **प्र.पी.–1** का शपथ पत्र एवं **प्र.पी.–2** इंदुल तलब रूक्का (प्रोनोट) प्रतिवादी नत्थू की ओर से लिखा गया है, जिसमें प्रतिवादी नत्थू प्रसाद ने वादी गोरेलाल से दिनांक 15.09.15 को 30,000/–रूपये (तीस हजार रूपये) 3% ब्याज प्रति माह की दर से नगद उधार लिया है और प्रतिवादी नत्थू ने उक्त मूलधन की रकम को मय ब्याज के 6 माह में वापस करने और उक्त मूलधन की राशि मय ब्याज के वापस नहीं करने पर उसकी चल अचल सम्पत्ती से वादी को वसूल करने का अधिकार होने का लेख है। उक्त प्र.पी.–1 एवं प्र.पी.–2 में शपथकर्ता के रूप में प्रतिवादी नत्थू प्रसाद के हस्ताक्षर है और **प्र.पी.–3** वादी गोरेलाल द्वारा प्रतिवादी नत्थू प्रसाद को उसके द्वारा ली गई उधार की राशि वापस नहीं करने पर उक्त उधार की राशि 30,000/–रूपये (तीस हजार) मय ब्याज राशि के नोटिस प्राप्ती दिनांक से 15 दिवस के अन्दर चुकता कर रसीद प्राप्त करने एवं उधार रूपये मय ब्याज राशि चुकता नहीं करने पर उसके विरूद्व न्यायालय में उक्त उधार रूपये मय ब्याज व खर्च राशि वसूल करने बाबत् सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्ततु करने के लिये दी गई है। उक्त नोटिस प्रतिवादी को प्राप्त होने की रसीद **प्र.पी.–4** है।

08– साक्षी गोरेलाल सिंगरोल (वा.सा.–1) के कथनो का एवं वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज प्र.पी.–1 एवं प्र.पी.–2 का समर्थन करते हुये साक्षी रमेश प्रसाद (वादी सा.–2) एवं साक्षी रामदीन सेन (वादी सा.–3) ने बताया है कि उनके सामने प्रकरण में प्रस्तुत शपथ पत्र

प्र.पी.–1 एवं इन्दुल तलब रूक्का (प्रोनोट) प्र.पी.–2 प्रतिवादी नत्थू प्रसाद द्वारा 30,000/–रूपये (तीस हजार) वादी गोरेलाल से लेने एवं उधार की राशि मय ब्याज राशि के 6 माह के अन्दर वादी को वापस किये जाने या अदा किये जाने के संबंध में लिखा पढी की गयी है, जिसके क्रमशः बी से बी एवं सी से सी भाग पर उनके हस्ताक्षर है।

09– प्रतिवादी के एकपक्षीय रहने के कारण वादी गोरेलाल सिंगरोल (वा.सा.–1), साक्षी रमेश प्रसाद (वादी सा.–3) एवं साक्षी रमेश पाठक (वा.सा.–3) का प्रतिपरीक्षण नहीं हुआ है। इस कारण से वादी और समर्थक साक्षी की मौखिक साक्ष्य अखण्डित है और दस्तावेज भी अखण्डित है, जिसे तत्प्रतिकूल साबित करने के लिये प्रतिवादी की कोई साक्ष्य नहीं है और ना ही अभिलेख पर अन्य कोई परिस्थितियॉ विद्यमान है, जिससे वादी की मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य पर अविश्वास किया जा सके।

10– अतः वादी गोरेलाल सिंगरोल (वा.सा.–1) एवं साक्षी रमेश प्रसाद (वादी सा.–3) व साक्षी रमेश पाठक (वा.सा.–3) की मौखिक साक्ष्य व प्र.पी.–1,2,3,4 के दस्तवेजों से यह प्रमाणित होता है कि वादी ने प्रतिवादी को दिनांक 13.09.2015 को 30,000/–रूपये (तीस हजार रूपये) ब्याज पर छः माह की अवधि के लिये प्रोनोट तैयार कर नोटरी से प्रमाणित करा कर उधार दिया था और प्रतिवादी ने वादी से ली गई उक्त उधार की राशि मय ब्याज के विहित समयवाधि में वापस नहीं किया है।

11– परिणामतः उक्त अनुसार वादी अपने पक्ष को प्रमाणित किया है। ऐसी स्थिति में वादी का वाद वसूली बाबद् प्रमाणित होता है। अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी के विरूद्ध निम्नानुसार डिक्री प्रदान किया जाता है।

12– वादी द्वारा प्रतिवादी को दिनांक–13.09.15 को 30,000/–रूपये दिया जाना प्रमाणित पाया गया है और वादी द्वारा प्रतिवादी से उक्त 30,000/–रूपये पर प्रतिमाह 3% ब्याज की दर से कुल 53,000/–रूपये दिलाये जाने का निवेदन किया है। इस तरह वादी दिनांक–13.09.15 से आज निर्णय दिनांक तक कुल 3 वर्ष 2 माह का 30,000/–रूपये पर 36% वार्षिक ब्याज की दर से राशि दिलाये जाने का निवेदन किया है, जो कि न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। यदि वादी द्वारा अपना उक्त रकम बैंक में भी जमा की जाती है, तो उसे मूल धन पर किसी भी निकाय द्वारा उक्त प्रतिशत पर ब्याज की राशि प्राप्त नहीं होगी। वादी द्वारा ब्याज पर रूपये उधार दिये जाने के संबंध में कोई लाईसेंस प्राप्त किया है, ऐसा कोई दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे वादी विधिक तौर पर किसी व्यक्ति को ब्याज पर रकम उधार देने के लिये प्राधिकृत है, यह भी नहीं पाया जाता है, किंतु वादी उक्त रकम किसी निकाय में जमा करता तो उसे कुछ प्रतिशत ब्याज की राशि अवश्य प्राप्त होती। इन परिस्थितियो में वादी द्वारा प्रतिवादी को दिनांक 13.09.15 से आज निर्णय दिनांक–30.11.18

तक कुल 3 वर्ष, 2 माह का उसके द्वारा दी गयी उधार की रकम 30,000/–रूपये पर 6% ब्याज की राशि 5700/–रूपये होने से वादी को प्रतिवादी से मूलधन राशि 30,000/–रूपये पर ब्याज की राशि 5700/–रूपये कुल राशि 35,700/–रूपये दिलाया जाना उचित प्रतीत होता है।

13– अतः वादी के पक्ष में प्रतिवादी के विरूद्ध निम्न आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि :–

(1)– प्रतिवादी वादी से ली गई मूलधन की राशि 30,000/– रूपये (अंकन तीस हजार रूपये) एवं पर 6% ब्याज की दर से मूल धन मय ब्याज कुल 35,700/–रूपये प्रतिवादी वादी को अदा करे।

(2)– प्रकरण कि परिस्थति अनुसार प्रतिवादी अपना और वादी का वाद व्यय वहन करेगा।

(3)– प्रतिवादी अभिभाषक शुल्क प्रमाण पत्र अनुसार जो भी कम हो वहन करेगा।

{ उपरोक्तानुसार आज्ञप्ति तैयार की जाये। }

निर्णय दिनांकित, हस्ताक्षरित
कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देश पर टंकित किया।

(अरविंद कुमार बरला)
व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2
अजयगढ, जिला–पन्ना (म.प्र.)

(अरविंद कुमार बरला)
व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2
अजयगढ, जिला–पन्ना (म.प्र.)